

## वॉक-इन-इंटरव्यू

एन.सी.डी.सी. दिल्ली में सहायक निदेशक एवं उप सहायक निदेशक (इतर चिकित्सा समूह-क) के 7 पदों को संविदा के आधार पर एक वर्ष हेतु या जब तक ये पद नियमित रूप से भरे जाएं जो भी पहले हो, को भरने हेतु :-

पदनाम	पदों की संख्या	पारिश्रमिक	सीधी भर्ती हेतु सीमित आयु	सीधी भर्ती हेतु भौक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
सहायक निदेशक (एंटीमोलॉजी)	01	रु. 50,000/- प्रतिमाह	40 वर्ष	<b>अनिवार्य:-</b> 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान सहित प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री । 2. कीट विज्ञान चिकित्सा या मलेरियोलॉजी या फाईलेरियोलॉजी के क्षेत्र में 7 वर्ष का अध्यापन का अनुभव/अनुसंधान तथा/या नियंत्रण । <b>वांछनीय :-</b> 1. कीट विज्ञान में डाक्टरेट 2. विकसित कीट विज्ञान चिकित्सा या मलेरियोलॉजी या फाईलेरियोलॉजी में प्रशिक्षण ।
उप-सहायक निदेशक (एंटीमोलॉजी)	04	रु. 47,000/- प्रतिमाह	35 वर्ष	<b>अनिवार्य:-</b> 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान सहित प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री । 2. कीट विज्ञान चिकित्सा या मलेरियोलॉजी या फाईलेरियोलॉजी के क्षेत्र में 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव/अनुसंधान तथा/या नियंत्रण । <b>वांछनीय :-</b> विकसित कीट विज्ञान चिकित्सा या मलेरियोलॉजी या फाईलेरियोलॉजी में प्रशिक्षण ।
उप-सहायक निदेशक (माईक्रोबायोलॉजी)	01	रु. 47,000/- प्रतिमाह	35 वर्ष	<b>अनिवार्य:-</b> 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से माईक्रोबायोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री या एम.वी. साइन्स में डिग्री या समकक्ष 2. उत्पादन या बायोलॉजिकल उत्पादों में गुणवत्ता नियंत्रण या माईक्रोबायोलॉजी में अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव ।
उप-सहायक निदेशक (बेटेनरी)	01	रु. 47,000/- प्रतिमाह	35 वर्ष	<b>अनिवार्य:-</b> 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.वी. साइन्स में डिग्री या समकक्ष 2. माईक्रोबायोलॉजी में विशेषता या बैक्टीरियोलॉजी या वायरोलॉजी/पैरासिटोलॉजी या माइक्रोलॉजी में तीन वर्ष का अनुभव ।

अन्य शर्तें व निबन्धन निम्नानुसार हैं :-

- ये नियुक्तियों पूर्णतः संविदा के आधार पर एक वर्ष हेतु हैं या जब तक नियमित पदस्थ कार्यभार ग्रहण कर ले, जो भी पहले हो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से । उसके बाद, अनुबन्ध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा । किसी भी ओर से एक महीने का नोटिस देने या एक महीने का वेतन छोड़ने पर, बिना कोई कारण बताए या सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि पर तीन महीने की अवधि पूरी नहीं होने पर नियुक्ति रद्द की जा सकती है ।
- नियुक्त अधिकारी को जो भी कार्य दिया जाएगा वे वही करेंगे । सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार है कि जब जैसी आवश्यकता हो, ड्यूटी सौंप सकते हैं । इस प्रकार की ड्यूटी दिये जाने पर कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा ।
- नियुक्त अधिकारी भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेज्युटी, चिकित्सा, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि या नियमित आधार पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों हेतु उपलब्ध अन्य लाभों के हकदार नहीं होंगे ।
- नियुक्त अधिकारी किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं करेंगे ।
- नियुक्त अधिकारी संस्थान में पूरे समय के लिये नियुक्त होंगे तथा कोई अन्य नियुक्ति या किसी प्रकार की अदायगी स्वीकार नहीं करेंगे ।
- नियुक्ति के साथ पूरे देश में कहीं भी सेवा करना नियुक्त अधिकारी का दायित्व होगा ।
- इस पद पर नियुक्ति से पूर्व संबंधित संस्थान/अस्पताल के सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा शारिरिक उपयुक्तता जांच हेतु मनोनीत चिकित्सा प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा ।
- नियुक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर वैवाहिक स्थिति की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी ।
- नियुक्त अधिकारी को छुट्टियाँ डी.ओ.पी.टी. के का. ज्ञा. सं. 12016/3/84-Estt.(L) दिनांक 12 अप्रैल, 1985 का. ज्ञा. सं. 12016/1/96-Estt.(L) दिनांक 5 जुलाई 1990 द्वारा संशोधित, की शर्तों के निर्देशानुसार प्रभावित होंगी ।
- नियुक्ति के समय नियुक्त अधिकारी को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का वचन देना होगा या उसके प्रभाव की निर्धारित प्रपत्र में औपचारिक पुष्टि करनी होगी ।
- नियुक्त अधिकारी नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार के टी.ए. के हकदार नहीं होंगे ।
- सेवा की अन्य भर्तों समय-समय पर जारी संबंधित नियमों व आदेशों के तहत प्रभावी होंगी ।
- यदि दी गई कोई भी घोषणा गलत पाई गई या कोई सूचना जानबूझ कर छिपाई गई, तो उन्हें सेवा से निश्कासित करने के साथ-साथ सरकार के निर्देशानुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी ।

शैक्षणिक योग्यताएँ व अनुभव आदि पूर्ण करने वाले योग्य उम्मीदवार 15 सितम्बर 2016 को प्रातः 9.30 बजे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, 22-शाम नाथ मार्ग, (नजदीक सिविल लाईन मेट्रो स्टेशन), दिल्ली-110054 में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं । योग्य उम्मीदवार उपरोक्त वर्णित तिथि को संक्षिप्त विवरण, मूल प्रमाण-पत्रों तथा सत्यापित प्रतियों सहित प्रातः 9.30 बजे से 10.30 बजे के बीच अपना पंजीकरण करवा सकते हैं । पंजीकरण ठीक प्रातः 10.30 बजे बन्द कर दिया जाएगा । प्रातः 10.30 बजे के बाद आने वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा ।